09/05/25 आज यह पत्रावली वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया श्री सत्यभोला लेडे से वाद पत्र वापिस लेने का निवेदन किया। वादी की पहचान करते हुए B.D. 2147 दायर की गई। वादी द्वारा खर्च वाद पत्र वापिस करने के बाद इसी स्तर पर खारिज की जाती है। नंबर से कहा।

आदेश तुरंत सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2025/261

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.09 18:02:46 IST
Reason: SelfAttested